साहू रामस्वरूप महिला महाविद्यालय, बरेली

फोन प्राचार्या : (0581) 3582193

CRITERION III

3.3.3.1 - Total number of books and chapters in edited volumes/books published and papers in national/ international conference proceedings year wise during year

S. No.	Faculty	Title of the Chapter	Name of the Book	Page No.
1	Prof. Radha Yadav	Status of women after 75 years of independence / Feminine discrimination in text material .	Status of women after 75 years of independence	1-5
2	Prof. Kanak Lata Singh	आधुनिक क़ानून प्रणाली की संरचना	भारतीय क़ानून प्रणाली का समाजशास्त्र	6-7
3	Prof. Kanak Lata Singh	परिवार और क़ानून	क़ानून का समाजशास्त्र	8-11
4	Dr.Deepshikha Singh	Sangeet gyan dhara/ gurumat sangeet m nihihitraag avam taal paksh.	Sangeet gyan dhara	12-15
5	Dr.Deepshikha Singh	Mandiyali sangeet m nihit loknatya, nritya avam taal ka priyog	Rangmanchiya Sangeet	16-19
6	Mrs. Shweta Maurya	Navigating Linguistic Evolution Neutrality vs. Gender Inclusivity in the English Language	ENGLISH & GLOBAL DEVELOPMENT,	20-22
7	Mrs. Afroz Jahan	DIASPORIC ELEMENTS IN THE NOVELS OF ANITA DESAI	Ink and Exile: A Multidisciplinary Exploration of Diaspora, ,	23-26

Prof. Radha Yadav

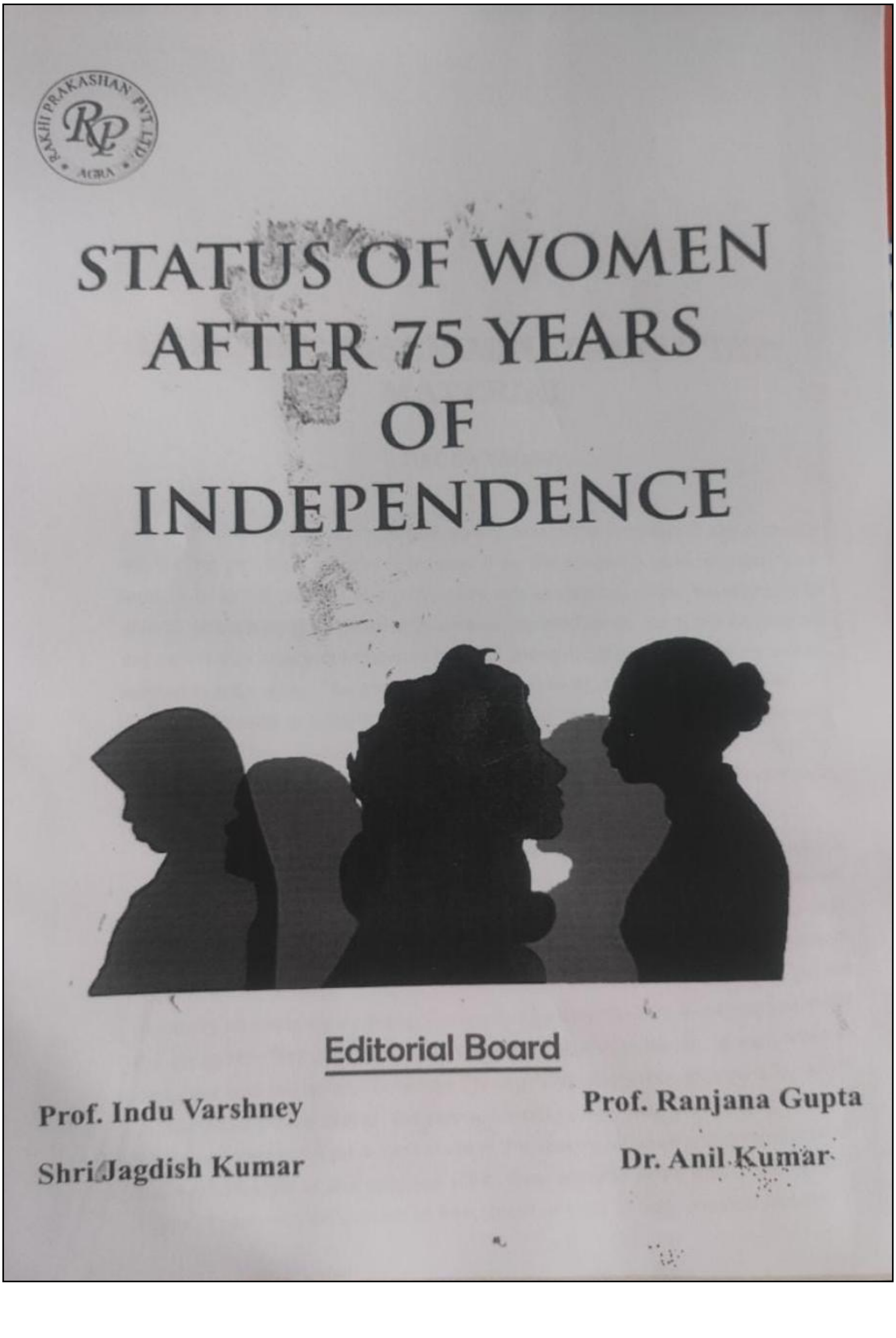

8

FEMININE DISCRIMINATION IN TEXT MATERIAL

RADHA YADAV

The woman has an important contribution to the progress of any country. If we are not providing equality to women, if we are not giving them opportunities to contribute to the process of development with all their capacities, we will never be able to achieve what we deserve to achieve. Various Commissions and Committees set up in India after independence have all advocated the need and importance of women's education. The position of women reflects the cultural attainment of a society. Women are the root of life and living. It is impossible to imagine the existence of life without her. The cycle of life cannot move an inch without her cooperation and participation. A woman maintains a very significant all-embracing function as wife, mother and helpmate.

One of the best ways to understand the spirit of a civilization and appreciate its excellence and realize its limitations is to study the history of the position and status of women in it. No class of similar importance and extent as that of women was placed in the infancy of society in a position of such absolute dependence upon men. In ancient times in all patriarchal societies, the birth of a girl was generally an unwelcome event. Almost everywhere the son was valued more than the daughter. The available evidence shows that in India too, in early times the daughter was not as welcomed as the son. The later was preferred to the former. In the Vedic period though the man-oriented society had got established but still the ladies enjoyed a privileged place in the society. Women participated equally in the performance of the religious rites. They enjoyed equal social and economic rights. There was no custom to keep them in Veils in both physical and symbolic

sense. They were free to choose their life partners. The privilege of "Swayamvara" was granted to girls.

The field of education and knowledge was open to them. In ancient India, they were not only free to study Vedic literature but famous women such as Matri, Gargi, Gosha, Lopa, Mudra etc. had also compared Vedic Verses. Women of the ancient period had acquired great knowledge in different "Shastras". Sometimes they not only participated in Shastrarth equal to those of men but also acted as judges or mentors.

Women continued to enjoy this status in the post-Vedic period also. The male-female relationship was similar to that of "Shiva's ardhnarishwar" (half man and half woman). She had no purdah. She could move as freely as any male in the royal entourage. But gradually the status of women started falling. The change in the status is evident in manusmriti. She was expected to follow the man as his shadow. Due to limited freedom, the development of women's personality was suppressed which resulted in a further decline in their status and position in society. The position of women continued to further deteriorate in the medieval period. Due to the humiliating behavior of Muslim invasions, social evils crept up in to society. Sati pratha, Pardah pratha, Bal vivah and Bigamy became common. Parda pratha closed the doors of education for women in general. Only a few women belonging to royal and rich families could receive education within the four walls of their houses. The East India Company showed total apathy and indifference towards the education of women. During this period some efforts were made by some missionaries and local govt. and non- govt. organizations in this direction.

But change is the eternal law of nature. Development always results in growth and sophistication. The herald of the 19th Century and the leader of the Indian renaissance, Raja Ram Mohan Roy was one of the first protagonists of women's cause. Other social reformers like D.N. Tagore, Ishwar Chandra Vidhyasagar and Swamy Dayanand Saraswati, all fought hard for the betterment of women. The national movement under the leadership of Mahatma Gandhi provided further necessary impetus towards the restoration of the position of women in Indian society. Writing in "Young India" in 1918 Gandhi said, "Women is the companion of man, gifted with equal mental capacities, she has the right to participate in the minutest details of the activities of man and she has the same right of freedom and liberty as he by sheer force of a vicious custom, even the most ignorant and worthless men have been enjoying a superiority over women which they do not deserve and ought not to have."

Thus, with independence, the provision of equality for women in India moved on to an altogether new plan. However, the women's movement that had begun to

take shape during the struggle for national freedom seems to have been lost in the complacent belief that with the constitutional , legal and plan provisions for women, the equality will automatically follow. In 1971, the Govt. of India appointed a National Committee to investigate the position, status and situation of women and to make suggestions for realizing the constitutional commitment to equality of sexes. Though in the Indian Constitution there is a special provision for the education of women and efforts are being taken towards educating them but a large section of Indian women remains outside the limits of education.

Though the position of women changed radically at the beginning of the twentieth century. They became free from social evils and were granted equal rights in the Constitution. But the inequality between men and women is deeply rooted in the Indian mentality. This mentality prevails not just in the middle class but the higher class also perpetuates these values. This biased attitude has negative effects on the development of the personality and special abilities of girls. This results in retardation of their willpower and confidence. In keeping with the demands of these situations, it is appropriate to review and screen the textual material from the point of view of women's perspective. The demand of today is equality of males and female

The women discrimination in the textbooks and text material can be found in the biased picturization and presentation of characters, illustrations, sentences and language in the textbooks.

Some piecemeal studies which related directly or indirectly to this study have been carried out in India. The Indian traditional attitude towards sex- role has been so much internalized that even preschool boys and girls have differed in their social class, Mehta (1972). Kanhare (1982) also arrived at some similar findings that traditional sex-linked role models are highly emphasized in rearing up girls, while new ones in terms of education and vocation are emphasized in the socialization of boys. D.B. Ponkshe (1972) critically evaluated the textbooks of Geography syllabus for standard VI in Dhule.

Some studies were also found on the analysis of textbooks of different subjects. Further occupational discrimination based on the sex, the proportion of women in low-paid and less-skilled jobs is greater than that of men (Andiapam 1980). Das also (1986) revealed that females were paid lower wages than males for doing some or similar work. Women all over the world have been discriminated against (ILO-1974). A large number of studies, committees reports and surveys had produced a plethora of elata attesting to the treatment (Anant et.al. 1956) observed that from very first day girl child is discriminated against the son is considered more important than the daughter

REFERENCES

awal, K: Status and Role of middle class educated earning women in the Indian family, In T.M.dakeds.

s, S. Purdha : The Status of Indian Women , ESS publications, New Delhi, 1979.

ngrade, P.C. : Why Discrimination against girls, social welfare, Vol. XXXI, 10, Jan 1986.

hta, H : Indian Women and butata and company, Delhi, 1981.

war, V : Social profile of working women , Jain Brothers, Ratanda Road, Jodhpur, 1984.

audhary P.K. : Changing values power among the young women , Delhi, Amar Prakashan, Delhi, 1988.

pta, N. L. : (2003), Women's Education Through Ages, Concept Publications Co., New Delhi.

vt. of India : National Policy on Education, 1986, Deptt. Of Education, MHRD,New Delhi,1986.

dav, Radha : Analytical Study of Text books of Primary Level with Reference to Feminine Bias.

odh Dhara.

Prof. Kanak Lata Singh

16

अध्याय 7

आधुनिक भारतीय कानूनी प्रणाली की संरचना

डॉ. कनक लता सिंह

भारतीय कानूनी प्रणाली एक व्यापक और जटिल ढांचा है जो न्याय प्रशासन को नियंत्रित करती है और भारत में कानून के शासन को कायम रखती है। यह प्राचीन कानूनी परंपराओं, औपनिवेशिक प्रभावों और आधुनिक संवैधानिक सिद्धांतों का मिश्रण है। भारतीय कानूनी प्रणाली की संरचना में अदालतों के कई स्तर शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक के विशिष्ट क्षेत्राधिकार और कार्य हैं। भारतीय कानूनी प्रणाली एक विविध और गतिशील राष्ट्र की उभरती जरूरतों और चुनौतियों को पूरा करने के लिए विकसित और अनुकूलित होती रहती है। भारतीय कानूनी प्रणाली की संरचना बहुआयामी है, इसके मूल में संविधान है, जो शासन और न्याय के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है।

भारत का संविधानः भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून और भारतीय कानूनी प्रणाली की नींव है। इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, और यह सरकार की संरचना और कार्यों, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों और विभिन्न संस्थानों के बीच संबंधों को परिभाषित करता है। संविधान भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करता है।

सरकार की तीन शाखाएँ– भारतीय कानूनी प्रणाली सरकार की तीन अलग-अलग शाखाओं के साथ शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है–

विधायिका

भारत की संसद सर्वोच्च विधायी निकाय है और इसमें दो सदन होते हैं – लोकसभा (लोगों का सदन) और राज्यसभा (राज्यों की परिषद)। संसद कानून बनाने, संविधान में संशोधन करने और सरकार के कामकाज की देखरेख करने के लिए जिम्मेदार है। भारत में विधायिका देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ है। यह कानून बनाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है और यह सुनिश्चित करता है कि उनके हितों की रक्षा की जाए। भारत सरकार के संसदीय स्वरूप का पालन करता है, और इसकी विधायिका द्विसदनीय है, जिसमें दो सदन शामिल हैं– लोकसभा (लोगों का सदन) और राज्यसभा (राज्यों की परिषद)।

97

भारत में विधायिका की संरचना और विशेषताएं

द्विसदनीय संरचना–

क. लोकसभा– लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है जिसका चुनाव जनसाधारण के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। यह भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और सरकार के गठन के लिए जिम्मेदार प्राथमिक विधायी निकाय है। लोकसभा में सीटों की कुल संख्या 545 है, जिसमें एंग्लो–इंडियन समुदाय को प्रतिनिधित्व देने के लिए राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह उसमें दो एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत कर सकता है।

लोकसभा की सदस्यता के लिए संविधान में मुख्य रूप से तीन अर्हताएं निर्धारित की है। (1) वह भारत का नागरिक हो (2) उसने 25 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और ऐसी अन्य योग्यताएं रखता हो जो संसद द्वारा निर्धारित हो। संविधान के अनुच्छेद 102 में संसद सदस्यों के लिए अनर्हताओं का उल्लेख किया गया है इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए अनर्ह होगा, यदि वह भारत सरकार के अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद ग्रहण किए हो, यदि वह विकृतचित्त है, यदि वह उन्मुक्त दिवालिया है, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है।

ख. राज्यसभा– राज्यसभा भारतीय संसद का ऊपरी सदन है। यह भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। भारत का उप राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है राज्यसभा अपने ही में से किसी सदस्य को उपसभापति चुनती है। राज्यसभा के सदस्य सीधे लोगों द्वारा नहीं चुने जाते हैं बल्कि राज्य विधान सभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है, जिसमें 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और 12 सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवाओं में उनके योगदान के लिए राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं।

राज्यसभा की सदस्यता के लिए संविधान में कुछ अर्हताएं निश्चित की गई है। किसी व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य होने के लिए आवश्यक है, वह भारत का नागरिक हो और उसकी आयु 30 वर्ष से कम ना हो, तथा वह अन्य ऐसी योग्यताएं रखता हो जो संसद द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाए प्रत्याशी

98

17

भारतीय कानूनी प्रणाली का समाजशास्त्र

स्थापना करता है। ये प्राधिकरण निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, उपभोक्ता संरक्षण और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करते है।

14. **प्रशासनिक सुधार आयोग**– सरकार शासन में प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार के उपायों का अध्ययन और सिफारिश करने के लिए समय पर प्रशासनिक सुधार आयोगों का गठन करती है।

15. **संघीय संरचना और समवर्ती सूची**– भारत सरकार की एक संघीय प्रणाली का पालन करता है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियां विभाजित होती हैं। संविधान तीन सूचियों के माध्यम से शक्तियों के विभाजन का वर्णन करता है:

(क) **संघ सूची**– इसमें वे विषय शामिल है जिन पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, जैसे रक्षा, विदेशी मामले और मुद्रा।

(ख) **राज्य सूची**– इसमें ऐसे विषय शामिल है जिन पर केवल राज्य सरकारें कानून बना सकती है, जैसे पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्थानीय सरकार।

(ग) **समवर्ती सूची**– इसमें ऐसे विषय शामिल है जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं, जैसे आपराधिक कानून, विवाह और दिवालियापन।

भारत में कार्यकारी शाखा देश के दैनिक प्रशासन, नीतियों के कार्यान्वयन और कानूनों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। यह विधायिका और नागरिकों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है, जिससे सरकार की प्रभावी कार्यप्रणाली और सार्वजनिक सेवाओं की वितरण सुनिश्चित होती है। भारत में कार्यकारी शाखा एक जटिल और बहुस्तरीय संरचना है जो देश पर शासन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह लोकतांत्रिक प्रणाली के सुचारू कामकाज राष्ट्र और उसके नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए विधायिका और न्यायपालिका के साथ मिलकर काम करता है।

न्यायपालिका

न्यायपालिका एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है जो कानूनों की व्याख्या करने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। इसमें विभिन्न स्तरों पर विभिन्न अदालतें शामिल हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है।

107

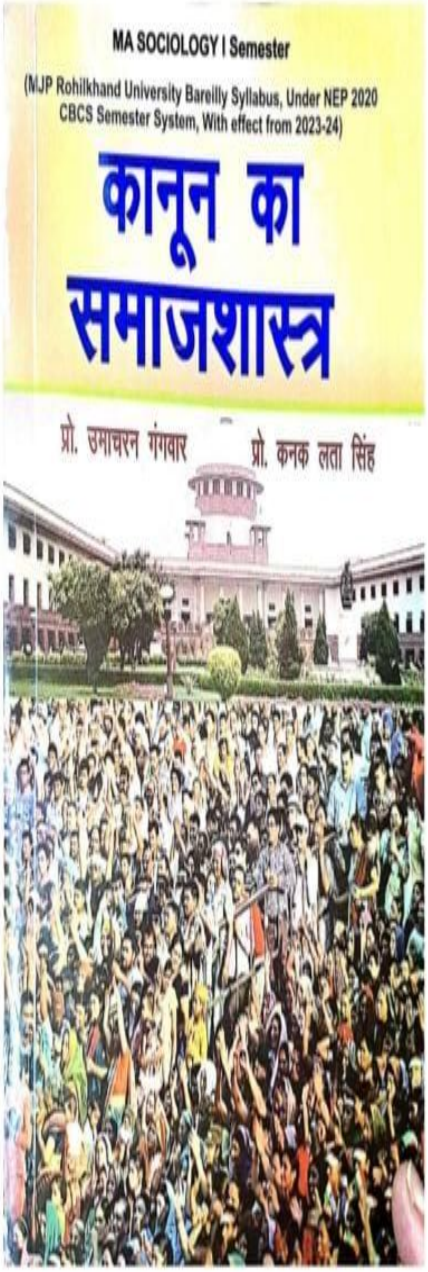

प्रकाशक:
नील कमल प्रकाशन
1/11052–ए, सुभाष पार्क, गली न.–7, शाहदरा, दिल्ली– 110032
ईमेल : nkplife@gmail.com

© संपादक– संबंधित लेखक अध्याय में प्रस्तुत किए गए विचारों, डेटा, पाठ और डेटा विश्लेषण के लिए जिम्मेदार होंगे।

ISBN : 978-93-93248-59-6

मूल्य : Rs. 325.00

प्रथम संस्करण : 2023

प्रिंटर: नील कमल प्रकाशन

अनुक्रमणिका

क्र.	पाठ नाम एवं लेखक	पृष्ठ
	प्राक्कथन	v
	पाठ्यक्रम	vii
1.	कानून का समाजशास्त्र *प्रोफेसर उमाचरन गंगवार*	01 – 26
2.	कानून *प्रोफेसर उमाचरन गंगवार*	27 – 57
3.	कानून का समाजशास्त्र और दंडः दुर्खीम *डॉ. रन्जू राठौर*	58 – 78
4.	संघर्ष के सिद्धांत का मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य *प्रोफेसर नीलम गुप्ता*	79 – 110
5.	कानून का समाजशास्त्र और दंडः मैक्स वेबर *डॉ. रन्जू राठौर*	111 – 134
6.	कानून, समाज और सजा पर दुर्खीम, वेबर और मार्क्स के तुलनात्मक विचार *प्रोफेसर उमाचरन गंगवार*	135 – 143
7.	पश्चिमी समाज में नारीवाद *डॉ. रन्जू राठौर*	144 – 184
8.	भारतीय समाज में नारीवाद *प्रोफेसर अंजू रानी*	185 – 203
9.	परिवार और कानून *प्रोफेसर कनक लता सिंह*	204 – 224
10.	कानून के समक्ष चुनौतियाँ एवं आवश्यक सुधार *प्रोफेसर कनक लता सिंह*	225 – 235

अध्याय 9

परिवार और कानून

डॉ. कनक लता सिंह

परिवार की अवधारणा

परिवार की अवधारणा मानव समाज का एक मूलभूत और गतिशील पहलू है जिसका समाजशास्त्रियों द्वारा बड़े पैमाने पर अध्ययन और विश्लेषण किया गया है। परिवार न केवल सामाजिक संगठन की एक बुनियादी इकाई है बल्कि सामाजिक संरचना, संस्कृति और व्यक्तिगत व्यवहार का प्रमुख निर्धारक भी है। क्योंकि मानव जीवन के प्रारंभ से ही परिवार उसके साथ है और किसी न किसी रूप में यह सांस्कृतिक विकास के सभी स्तरों पर पाया जाता है। इतना ही नहीं श्री चार्ल्स कूले ने परिवार को एक ऐसा प्राथमिक समूह माना है जिसमें बच्चे के सामाजिक जीवन व आदर्शों का निर्माण होता है। इस रूप में परिवार व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाने का एक प्रमुख साधन है। परिवार के बिना समाज की निरंतरता संभव नहीं है। एक बच्चा किसी न किसी रूप में किसी न किसी परिवार में ही जन्म लेता है और जीवन पर्यंत परिवार में ही रहता है। उसके सामाजिक गुणों का विकास करके उसके व्यक्तित्व को समाज के अनुरूप ढालता है। परिवार उसे समाज में प्रचलित आचार-विचार, रीति-रिवाज, आदर्श और विश्वासों से परिचित कराता है; और समाज में माने जाने वाले नियमों का ज्ञान एवं पालन करवाता है और विवाह जैसा महत्वपूर्ण तन्त्र गतिमान रहता है। इसी बात को समाजशास्त्री एक दूसरे ढंग से यो कहते है कि किसी समाज का अध्ययन (उस समाज की) सामाजिक संस्थाओं परिवार, विवाह और नातेदारी अन्य संस्थाओं–आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक के माध्यम से किया जाता है। अंग्रेजी भाषा के 'फेमिली' शब्द का हिन्दी रूपान्तरण परिवार है। 'फेमिली' शब्द लैटिन भाषा के फेमुलस (Famulus) शब्द से निर्मित है। इसका अर्थ सदैव एक जैसा नहीं लगाया गया है। वास्तविक लैटिन शब्द Familias के अन्तर्गत माता-पिता, बच्चे नौकर और गुलाम भी सम्मिलत किये जाते है। जहां तक परिवार के वास्तविक अर्थ का संबंध है विद्वानों में मतैक्य का अभाव है कुछ विद्वान परिवार में पति पत्नी व अविवाहित बच्चे ही सम्मिलित करते हैं तो कुछ विचारक दादा-दादी नौकर आदि को भी परिवार का अंग मानते हैं।

परिवार की समाजशास्त्रीय परिभाषा

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये परिवार की समाजशास्त्रीय परिभाषा करना उचित होगा। कतिपय चर्चित परिभाषाएँ निम्न है :-

1. **ऑगबर्न तथा निमकॉफ**–"परिवार पति-पत्नी का बच्चों सहित अथवा थोड़ा-बहुत स्थायी संघ है। अथवा एक स्त्री-पुरुष का अकेले ही बच्चों के साथ वाला संघ है।"
2. **मेकाइवर तथा पेज**–"परिवार उस समूह को कहते हैं जो यौन सम्बन्धों पर आधारित है और जो इतना छोटा व स्थायी है कि उसमें बच्चों को उत्पत्ति एवं पालन-पोषण हो सके"।
3. **बिल्स तथा हॉइजर**–"परिवार को संक्षेप में एक सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित किया जा है जिसके सदस्य रक्त के आधार पर एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं।"
4. **लूसी मेयर**–"परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता-पिता और सन्तान साथ-साथ रहते हैं। इसमें मूल रूप से दम्पति और उनकी सन्तान रहते हैं।"

संक्षेप में, एक सामाजिक समूह, जिसे 'परिवार' शब्दावली से सम्बोधित किया जाता है, की शुरूआत कुछ लोगों (कम से कम दो विपरीत यौन वयस्कों) से होती है। गृहस्थ जीवन (Domestic life) का आधार यही होता है। इसके सदस्यगण दैनिक क्रियाओं से जुड़े रहते हैं। इन क्रियाओं में भोज्य सामग्री का उत्पादन, उसकी खपत , बच्चों का पालन-पोषण, शिक्षा, अन्य सदस्यों से सम्पर्क, शयन, यौन सम्पर्क तथा प्रजनन सम्मिलित है। सभी क्रियाएँ एक सीमित स्थल पर सम्पन्न होती हैं जिसे मकान या घर का कहा जाता है। यह स्थल सदस्यों को प्राकृतिक विपदाओं से बचाता है।

परिवार की विशेषताएँ

उपरोक्त विवेचन के आधार पर परिवार की सामान्य व विशिष्ट विशेषतायें अथवा लक्षणों को निम्न ढंग से निरूपित किया जा रहा है :-

1. **विवाह और रक्त सम्बन्धों का बन्धन**– एक परिवार के अस्तित्व के लिए पति-पत्नी का सम्बन्ध आवश्यक है। इसी के फलस्वरूप एक पारिवारिक समूह का आरम्भ होता है। पत्नी पति के वैवाहिक सम्बन्ध (Affinal Relationship) हैं। ये रक्त सम्बन्धी नहीं होते है क्योंकि दोनों के परिवार

6. बाल विवाह निरोधक अधिनियम (बाल विवाह निषेध अधिनियम), Child Marriage Restraint Act (Prohibition of Child MarriageAct), 1929 (The Child Marriage Restrain Act-1929) 1978 के संशोधित अधिनियम द्वारा बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 में अब उपबन्धित है कि पुरुष की विवाह आयु 21 वर्ष होगी और स्त्री की 18 वर्ष इस संशोधन को 1 अक्टूबर, 1978 से लागू किया गया था परन्तु 2006 में पुनः ससोधन किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य बाल विवाह को रोकना और नाबालिगों के अधिकारों की रक्षा करना है। यह महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी न्यूनतम आयु 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष निर्धारित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि नाबालिगों से जुड़े विवाह अमान्य हैं।

7. दहेज निरोधक अधिनियम, 1961 (Dowery Prohibition Act, 1961): हिन्दू समाज में जहाँ एक ओर विवाह उत्सव में भी काफी खर्च हो जाता है, वहाँ दूसरी एक और खर्च दहेज की माँग से सम्बन्ध लिये हुए है। विवाह सम्बन्धी ये विशेषताएँ साधारणतः सभी लोगों में पाई जाती हैं, चाहे वे ग्रामीण हों या नगरीय, उच्च जातियों के हों या निम्नजातियों के, अशिक्षित हों या शिक्षित। 1961 में सरकार द्वारा दहेज निरोधक अधिनियम पारित किया गया, जिसके अनुसार दहेज लेने वालों एवं देने वालों के लिए दण्ड की व्यवस्था गई है। इस अधिनियम में पायी जाने वाली कमियों के कारण इसे प्रभावी बनाने के लिए 1984 में दहेज निरोधक (सुधार) अधिनियम, 1984 पारित किया गया और 2 अक्टूबर, 1985 से यह सम्पूर्ण देश में लागू किया गया। इसके अन्तर्गत अब विवाह के समय वर औ को उपहार में दी जाने वाली वस्तुओं की एक विस्तृत सूची तैयार की जायेगी और उ की प्रकृति स्पष्ट की जायेगी। इसके अतिरिक्त उपहार देने वाले का वर तथा वधू से क्या स है यह भी स्पष्ट किया जायेगा। इसके पश्चात् सूची पर वर तथा वधू के हस्ताक्षर होंगे, व्यावहारिकता में यह कानून अनेक कारणों से दहेज के लेने–देने को रोकने में असम है। मुख्यतः यह कानून सामाजिक आदर्श प्रतिमान को परिवर्तित नहीं कर पाया है। यहां पर कानूनी आदर्श प्रतिमान का अधिक प्रभाव दिखाई पड़ता है।

8. घरेलू हिंसा अधिनियम, Domestic Violence Act, 2005: घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम उन महिलाओं को सुरक्षा और राहत प्रदान करता है जो शारीरिक, भावनात्मक, मौखिक या आर्थिक दुर्व्यवहार सहित घरेलू हिंसा की शिकार हैं। यह सुरक्षा आदेश, निवास आदेश और मौद्रिक राहत जारी करने की अनुमति देता है। शारीरिक दुर्व्यवहार अर्थात

शारीरिक पीड़ा, अपहानि या जीवन या अंग या स्वास्थ्य को खतरा या लैंगिक दुर्व्यवहार अर्थात महिला की गरिमा का उल्लंघन, अपमान या तिरस्कार करना या अतिक्रमण करना या मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार अर्थात अपमान, उपहास, गाली देना या आर्थिक दुर्व्यवहार अर्थात आर्थिक या वित्तीय संसाधनों, जिसकी वह हकदार है, से वंचित करना,मानसिक रूप से परेशान करना ये सभी घरेलू हिंसा कहलाते हैं |इस कानून के तहत घरेलू हिंसा के दायरे में अनेक प्रकार की हिंसा और दुर्व्यवहार आते हैं। किसी भी घरेलू सम्बंध या नातेदारी में किसी प्रकार का व्यवहार, आचरण या बर्ताव जिससे (1) आपके स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, या किसी अंग को कोई क्षति पहुँचती है, या (2) मानसिक या शारीरिक हानि होती है, घरेलू हिंसा है। पीड़ित इस कानून के तहत किसी भी राहत के लिए आवेदन कर सकती है जैसे कि– संरक्षण आदेश,आर्थिक राहत,बच्चों के अस्थायी संरक्षण (कस्टडी) का आदेश,निवास आदेश या मुआवजे का आदेश

9. बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम, (Juvenile Justice Care and Protection of Children) Act, 2015 विधि के उल्लंघन के लिए अभिकथित और उल्लंघन करते पाए जाने वाले बालकों की देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए बालकों के सर्वोत्तम हित में मामलों के न्यायनिर्णयन और निपटारे में बालकों के प्रति मित्रवत् दृष्टिकोण अपनाते हुए समुचित देखरेख, संरक्षण, विकास, उपचार, समाज में पुनः मिलाने के माध्यम से उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हुए और उपबंधित प्रक्रियाओं तथा इसमें इसके अधीन स्थापित संस्थाओं और निकायों के माध्यम से उनके पुनर्वासन के लिए, तथा उससे संबंधित और उसके आनुषांगिक विषयों के लिए यह अधिनियम बनाया गया है।

10.हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण–पोषण अधिनियम, 1956 (The Hindu Adoptation and Maintenance Act, 1956): इस अधिनियम को 21 दिसम्बर, 1956 को सम्पूर्ण देश में लागू किया गया। इसमें महत्वपूर्ण व्यवस्था यह की गई है कि केवल लड़के को ही नहीं अपितु लड़की को भी गोद लिया जा सकता है। विधवा को भी अपनी सम्पत्ति के उपयोग के लिए गोद लेने का अधिकार दिया गया है। गोद लेने के लिए पत्नी की सहमति का होना भी आवश्यक है, अब दत्तक को धर्म–निरपेक्ष कार्य के रूप में मान्यता प्रदान गई है। इस नियम के द्वारा स्त्री–पुरुष दोनों को ही भरण–पोषण का अधिकार दिया

गया अब पति की सम्पत्ति में से भरण–पोषण का अधिकार केवल स्त्री को ही नहीं है, पुरुष की आय के साधन न होने की दशा में, पत्नी की सम्पत्ति में से भरण–पोषण की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। भरण–पोषण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में पत्नी, विधवा पुत्र वधू, सन्तान, वृद्ध माता–पिता एवं अन्य आश्रित व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया है।

ये भारत में महत्वपूर्ण पारिवारिक कानूनों के कुछ उदाहरण हैं। बदलते सामाजिक मानदंडों, लैंगिक समानता और पारिवारिक रिश्तों को प्रभावित करने वाले अन्य समसामयिक मुद्दों के समाधान के लिए कानूनी परिदृश्य लगातार विकसित हो रहा है। भारत में परिवार से संबंधित मामलों पर सटीक और नवीनतम जानकारी के लिए कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श करना और विशिष्ट कानूनों और विनियमों का संदर्भ लेना महत्वपूर्ण है।

Dr. Deepshikha Singh

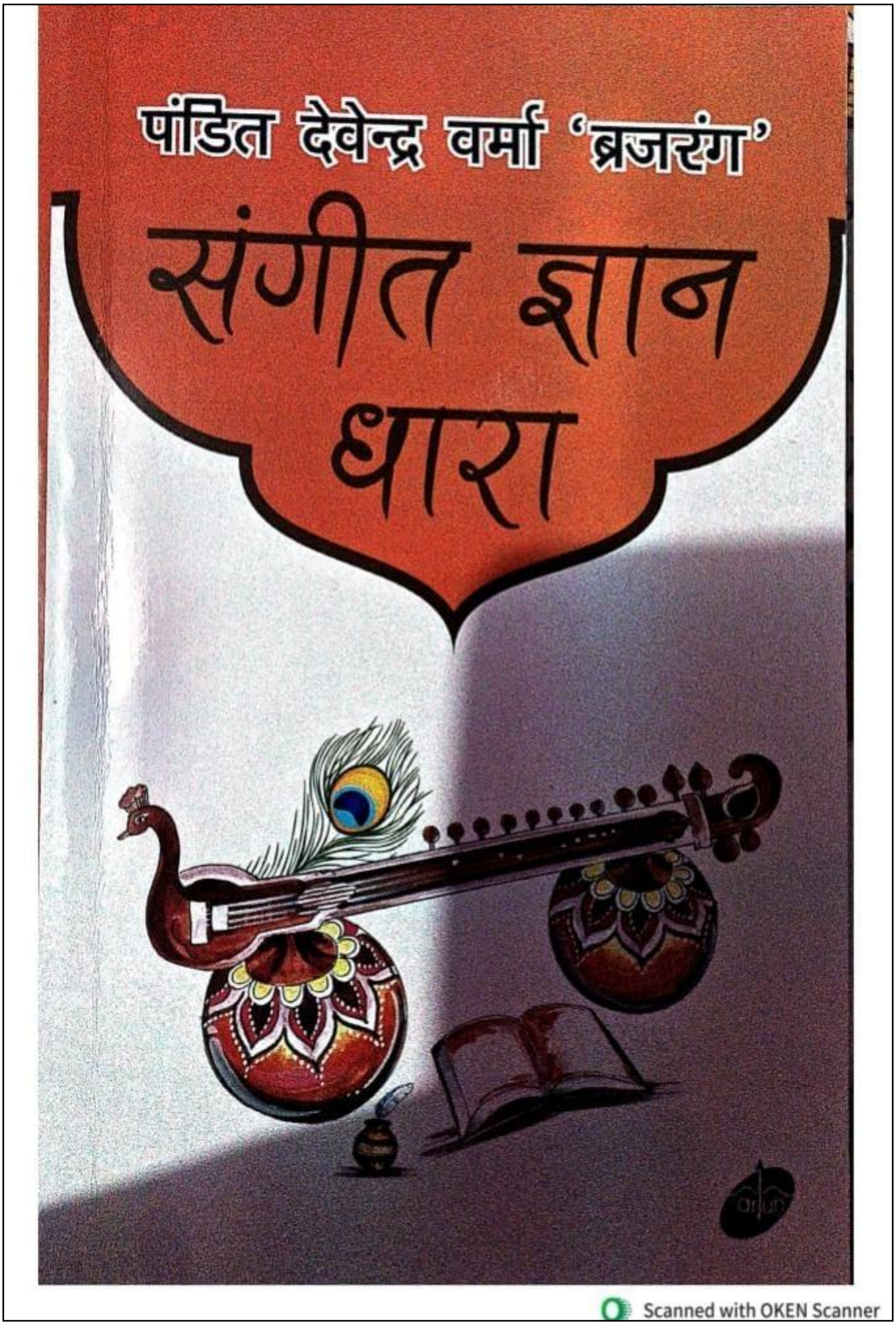

विषय-सूची

प्राक्कथन	(v)
भूमिका	(ix)
शुभकामना (लावण्य कीर्ति सिंह 'काव्या')	(xi)
शुभाशंसा (प्रो. विश्वनाथ शर्मा)	(xiii)
शुभकामना संदेश (डॉ. शुचिस्मिता)	(xv)
शुभकामना संदेश (डॉ. निवेदिता सिंह)	(xvii)
शुभाकांक्षा (प्रो. शशि शुक्ला)	(xix)
शुभकामना संदेश (प्रो. वन्दना चौबे)	(xxi)
शुभकामना संदेश (डॉ. अमलदार 'नीहार')	(xxiii)
संरक्षक मंडल	(xxv)
	पृष्ठ
1. महाराष्ट्र के भक्ति संगीत का शिरोमणी-अभंग -आसावरी देगलूरकर एवं डॉ. पौर्णिमा धुमाळ	1
2. Indian Dance: In the Context of Cultural, Religious and Aesthetical Traditions —*Aasawri Singh*	10
3. Harikath—A Telugu Art Form —*Bhagavatula P. Radhika & Dr. J. Sankar Ganesh*	23
4. संगीत चिकित्सा -डॉ॰ बबीता (वक्ता)	30
5. The Mesmerizing Chanting Vibration and Healing Shakti of ॐ Music Therapy and Yoga —*Dr. Phane Jayanthi Sen*	42
6. Musical Instruments —*Dr. Ramya C.R*	51
7. गजल गायकी का फिल्म में प्रयोग: एक संक्षेपात्मक अध्ययन -डॉ0 साक्षी	60
8. Rare Ragas Handled by Different Vaggeyakaras —*Dr. T. Girija Seshamamba*	64
9. हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आगरा घराने की विशिष्ट परंपरा -डॉ. अमिता शर्मा एवं अरूणदीप सिंह	69
10. Synergy Between Music and Consciousness —*Dr. Deepshikha Nigam Sood*	76
11. गुरूमत संगीत में निहित राग एवं ताल पक्ष -डॉ. दीपशिखा सिंह	86
12. ग्वालियर एवं बनारस घराने में टप्पा गायन -डॉ. निलांभ राव नलवडे	94
13. बिदेसिया लोक नाटक तथा उसकी संगीत परम्परा -डॉ. इन्द्रेश मिश्रा	100
14. Music: An Integral Part of Hinduism —*Dr. Rohit*	108
15. संगीत में घराने का महत्व प्रस्तुति एवं भविष्य (ग्वालियर घराने के विशेष संदर्भ में) -डॉ. श्रीमती रूपाली गोखले	122
16. संगीत के क्षेत्र में व्यवसाय के विभिन्न साधन -डॉ. सुधा शर्मा	128
17. वाद्यों का वर्गीकरण -गुरप्रीत कौर	135
18. कत्थक नृत्य में तबला संगीत की भूमिका -काजल कुमारी	144
19. कलाकार के जीवन में अनुवंश और अंतर्निहित संगीत क्षमताओं का महत्व -केतकी चैतन्य ब्रह्मनाळकर	151

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

गुरूमत संगीत में निहित राग एवं ताल पक्ष

11

डॉ. दीपशिखा सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर
साहू रामस्वरूप महिला महाविद्यालय (बरेली)
Ph. 8865891199, 9457436550; Email; deepshikhasinghhh@gmail.com

शोध सार

इस शोध पत्र के अन्तर्गत शोधार्थिनी ने गुरूमत संगीत को परिभाषिक रूप में समझाने का प्रयास किया है साथ ही इसमें निहित रागों व तालों का वर्णन प्रस्तुत किया है। गुरूमत संगीत का अविष्कार कैसे हुआ, नौ गुरूओं द्वारा इसमें दिये गये योगदानो का भी विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया गया है। इस संगीत के अन्तर्गत कौन–कौन से वाद्य बजाये जाते थे ? किस गुरू ने गुरूमत संगीत हेतु कौन सा वाद्य प्रयोग किया ?, गुरूमत संगीत गाने वाले गायकों के प्रकार का भी विवेचन इस शोध पत्र में किया गया है। साथ ही 31 रागों 17 तालों व ईश्वर उपासना हेतु इन रागों को चौकियों में गाना, चौकियों के प्रकार आदि के वर्णन के साथ ही शोधार्थिनी ने भविष्य हेतु इस विषय में सम्भावनाओं पर भी विचार व्यक्त किये हैं। निष्कर्ष रूप में गुरूमत संगीत के महत्व पर प्रकाश डालते हुये भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त राग व तालों व गुरूमत संगीत में प्रयुक्त राग व तालों का तुलनात्मक

तक इस शोध पत्र से स्पष्ट हो गया है किन्तु इसमें अभी भी खोज की सकती है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि गुरुमत संगीत जो गुरु ग्रं साहिब में वर्णित है वह किसी धर्म विशेष तक सीमित न रहकर संगीत से जु प्रत्येक व्यक्ति को इसके अन्दर छिपे सैद्धान्तिक एवं वैज्ञानिक पद्धति से लि शब्दों जिनके अन्दर विभिन्न राग व तालें निहित हैं, का अध्ययन अवश्य करना चाहिए क्योंकि यह न सिर्फ हमारे जीवन जीने की कला को सरल व उत्कृष्ट बनाने में सहायक है अपितु संगीत हेतु भी ज्ञान का भंडार ही नहीं बल्कि इसका पठन–पाठन विषय के रूप में होना चाहिए। इस हेतु अनेकों संस्थाएं व विद्यालय– महाविद्यालय प्रयासरत हैं और कुछ ने इसे आत्मसात कर भी लिया है। इसके राग व ताल पक्ष के अध्ययन के पश्चात शोधार्थिनी ने पाया की भारतीय संगीत के बहुत से राग व तालों का समावेश गुरुमत संगीत में है किन्तु कई राग व तालें केवल इसी संगीत में हैं। साथ ही यह भी पाया कि शास्त्रीय संगीत के राग व ताल के नाम समान होते हुये भी ताल के बोलों व राग के गायन के नियमों में भी कहीं कहीं अंतर देखने को मिलता है। शोधार्थिनी का विचार यह भी है कि केवल गुरू ग्रंथ साहिब में वर्णित शब्द ही गुरुमत संगीत नहीं हैं अपितु गुरु गोविन्द सिंह जी के दशम ग्रंथ या अन्य इस प्रकार के ग्रंथ जिनमें गुरुओं की वाणियों को राग व तालबद्ध नियमों में लिखा गया है, सभी गुरुमत संगीत के अन्तर्गत आने चाहिये। इन सभी तथ्यों के बाद भी यह संगीत इतना समृद्ध है कि इसमें बहुत कुछ जानने समझने को शेष रह जाता है। आशा करती हूँ कि संगीत से जुड़े विद्वान विद्यार्थी आदि भविष्य में इस विषय पर कुछ और नया सीखने के लिये जागरूक होंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. भारतीय संगीत का इतिहास – शर्मा डा0 सुनीता I.S.B.N: 81-7453-005-3 प्रथम संस्करण 1996 संजय प्रकाशन दिल्ली–110053 पृष्ठ संख्या–119–140 तक।
2. हरियाणा तथा पंजाब की संगीत परम्परा – धनकर डा0 रीता I.S.B.N: 81-7453-062-2 प्रथम संस्करण 2003 संजय प्रकाशन दिल्ली–11002 पृष्ठ संख्या–108, 124, 172
3. पंजाब की संगीत परम्परा – पैंतल गीता I.S.B.N : 81-7487-704-5 1988

Scanned with OKEN Scanner

I.S.B.N : 978-81-7487-704-8 1999 I.S.B.N : 81-7487-704-5 2011 प्रथम संस्करण द्वितीय संस्करण तृतीय संस्करण पृष्ठ सं0–83 ,125, 121, 128, 129
4. भारतीय संगीत के विकास में गुरुमत संगीत प्रयास एवं उपलब्धियाँ– मारछाल डा0 प्रेमचन्द I.S.B.N: 9789388107167 संस्करण– 2018 संजय पब्लिकेशन पृष्ठ सं0–01–07, 71
5. searchgurbani.com
6. sikhiwiki.org

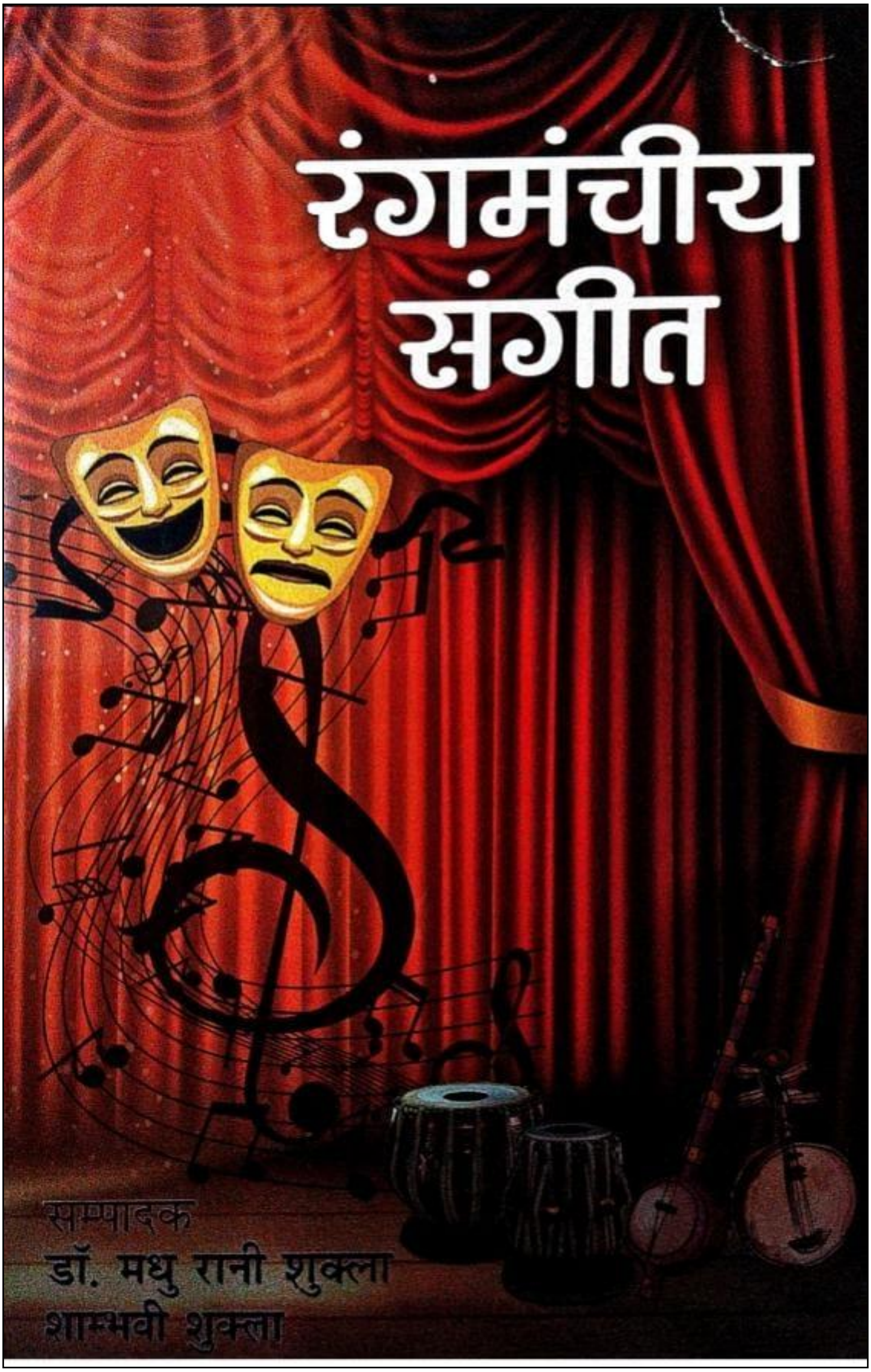
रंगमंचीय
संगीत
सम्पादक
डॉ. मधु रानी शुक्ला
शाम्भवी शुक्ला

8. Harmonious Rhythms and Melodic Narratives: Exploring the Musical Traditions of Yakshagana — 58
Dr. Parul Purohit Vats

9. माच की संगीत परंपरा और प्रयोग — 68
शशिप्रभा तिवारी

10. नाट्यकला में संगीत की भूमिका एवं उपयोगिता — 73
डॉ. नीलम अधिकारी

11. Harmonizing the Past and Present: The Enduring Significance of Folk Music Traditions in Ramlila Performances — 81
Dr. Sarvjit Kaur

12. The Influence of Nautanki on Contemporary Indian Music and Cinema — 89
Gurdeep Singh Sandhu

13. मंडियाली संगीत में निहित लोकनाट्य नृत्य एवं ताल प्रयोग — 95
डॉ. दीपशिखा सिंह

14. रासलीला में रस एवं संगीत — 102
डॉ. रैना कुमारी

15. बिहार के जाट–जाटिन लोक नाट्य में संगीत — 107
जयश्री

16. लोकनाट्य में संगीत की परम्परा — 112
सूरज कुमार प्रसाद

17. रामलीला की संगीत परम्परा तथा प्रयोग — 117
अंशिका केसरवानी एवं प्रो. डॉ. रेनू जौहरी

18. "नाट्य एवं संगीत में उपयोगी" ताल प्रकरण — 124
दीप्ति धनीजा शर्मा

19. ब्रज की रासलीला का संगीत पक्ष एवं प्रयोग — 130
कुलदीप कौर

20. हिन्दी धारावाहिक में शिवचरित्र — 136
कु. शालिनी

13

मंडियाली संगीत में निहित लोकनाट्य नृत्य एवं ताल प्रयोग

डॉ. दीपशिखा सिंह

शोध सार

प्रस्तुत शोध पत्र के अन्तर्गत शोधार्थिनी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी क्षेत्र के अन्तर्गत प्रचलित लोकसंगीत की एकमात्र लोकनाट्य विद्या वाठड़ा की विशेषताओं व उसमें निहित गीतों व तालों के प्रयोग पर प्रकाश डाला है। इस लोकनाट्य के साथ प्रचलित नाटी गीत व नृत्य पर भी विस्तृत चर्चा की है। इस क्षेत्र के लोकसंगीत के अन्तर्गत प्रचलित तीन प्रमुख लोकनाट्यों नाटी गिद्धा, लुड्डी की सांगीतिक पक्ष, वेशभूषा एवं विशेषताओं पर भी प्रकाश डाला है, साथ ही इन लोकनाट्यों व नृत्यों के साथ प्रयोग होने वाले वाद्यों व तालों के प्रयोग के उल्लेख भी विस्तार पूर्वक किया है।

शब्द कुंजी—मंडियाली, लोकनाट्य, नाटी, वाठड़ा, कंथरा, लुड्डी, मण्डी, गिद्धा।

परिचय

व्यास नदी के किनारे बसा हिमाचल प्रदेश का ऐतिहासिक नगर मंडी जिसका पूर्व नाम मांडव नगर था अपनी सांस्कृतिक सांगीतिक व धार्मिक विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध है।

उपरोक्त विशेषताओं को धारण किये मंडियाली संगीत अपने अन्दर जिन विशेषताओं को समेटे है, यदि हम चाहते हैं कि वे धूमिल न हो तो उनके बारे में संगीत जगत के विद्वानों को सजग रहते हुए इनके प्रचार-प्रसार में संलग्न होना होगा। ताकि छोटे-छोटे क्षेत्रों की ये लोकनाट्य नृत्य कलायें भविष्य में भी विद्यमान रहें।

संदर्भ सूची

1. हिमाचल के लोकनाट्य, डॉ. रमण तुलसी, हिमाचल प्रदेश ऐकेडमी, ऑफ आर्ट कल्चर एण्ड लैग्वेज, संस्करण-2012 ISBN-9788186755713
2. मंडियाली सांस्कृतिक एवं सांगीतिक अध्ययन, डॉ. वर्मा चमनलाल, निर्मल पब्लिकेशन दिल्ली-110094, प्रथम संस्करण-1997
3. हिमाचल प्रदेश का जन जातिय लोकसंगीत, डॉ. ठाकुर सूरत, शिवांक प्रकाशन दरियागंज दिल्ली, संस्करण-2015
4. हिमाचली लोकगीत मंजूषा, प्रो० गुप्त चमन लाल, ISBN. 816400015, संस्करण- 2010

Mrs. Shweta Maurya

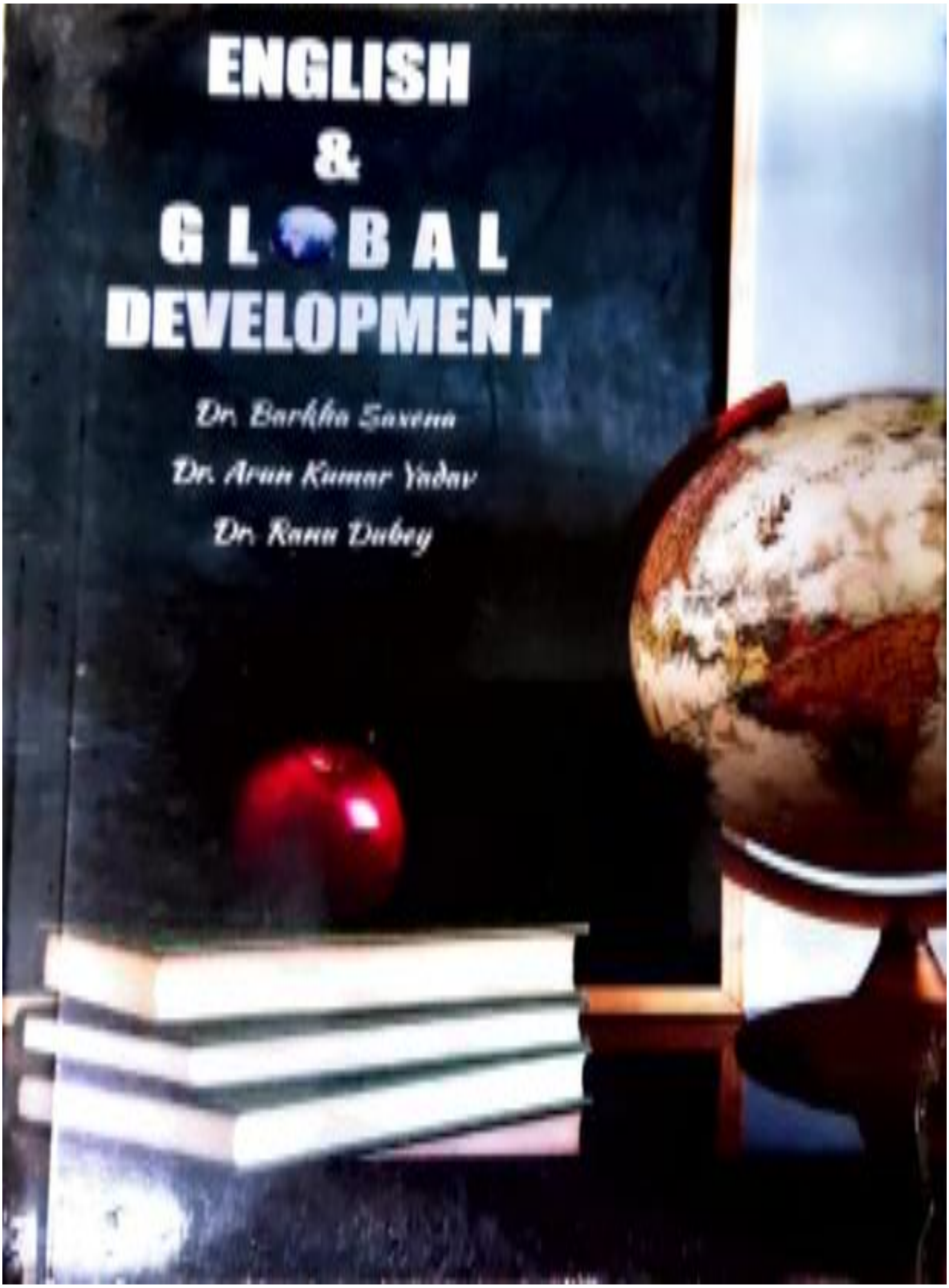

Contents

1. Role & Drawbacks of English Language in Global Business Development
Prof. (Dr.) Anurag Agarwal, Dr. Krishna Kumar Verma 11
2. Navigating Linguistic Evolution: Gender Neutrality vs. Gender Inclusivity in the English Language
Mrs. Shweta Maurya, Prof. (Dr.) Alka Rani Agrawal 17
3. Evolution in the Economic Dynamics of the English Language
Dr. Kamlesh Babu Gautam 23
4. English Speaking in The Workplace : Advantages, Difficulties, and Necessary Managerial Tools for The Business Sector
Ms. Astha Shukla, Mr. Shivansu Sachan, Mr. Ankit Kumar 29
5. A Critique on Past, Present & Future of English as a Global Language
Dr. Shaifali Saxena 36
6. Challenges and Opportunities in Implementing Inclusive Practices in English Language Education
Mrs. Shikha Srivastava 42
7. Harmony in Diversity: English as a Bridge to Multicultural Understanding
Mukesh Kumar 50
8. English the Global Language and Its Effects on Culture and Identity
Dr. Ishwar Sharan Srivastava 60
9. English and Indian Cultural History: Mariam's Famous Love Story
Dr. Vikas Khurana 70
10. English As a Lingua Franca in International Business: Implications for Global Development
Dr. Arun Kumar Yadav 73

- **English & Global Development**

- *Editor*
  Dr. Barkha Saxena
  Dr. Arun Kumar Yadav
  Dr. Ranu Dubey

- © Writers

  ISBN : 978-93-5552-758-5

- *Edition :*
  1st Edition : 2024

- *Price :* 300.00 $10

- *Type Setting*
  Rudra Graphics

- *Printed by :*
  Sarthak Printer

- *Publishers*
  NIKHIL PUBLISHERS & DISTRIBUTORS
  Hall No. 2, 1st Floor, Bhawana Multiplex
  Kargil Chauraha, Agra-208007 (U.P.) India
  Mob. : 9458009531-38
  Email : nikhilbooks.786@gmail.com
  www.nikhilbooks.com

Mrs. Afroj Jahan

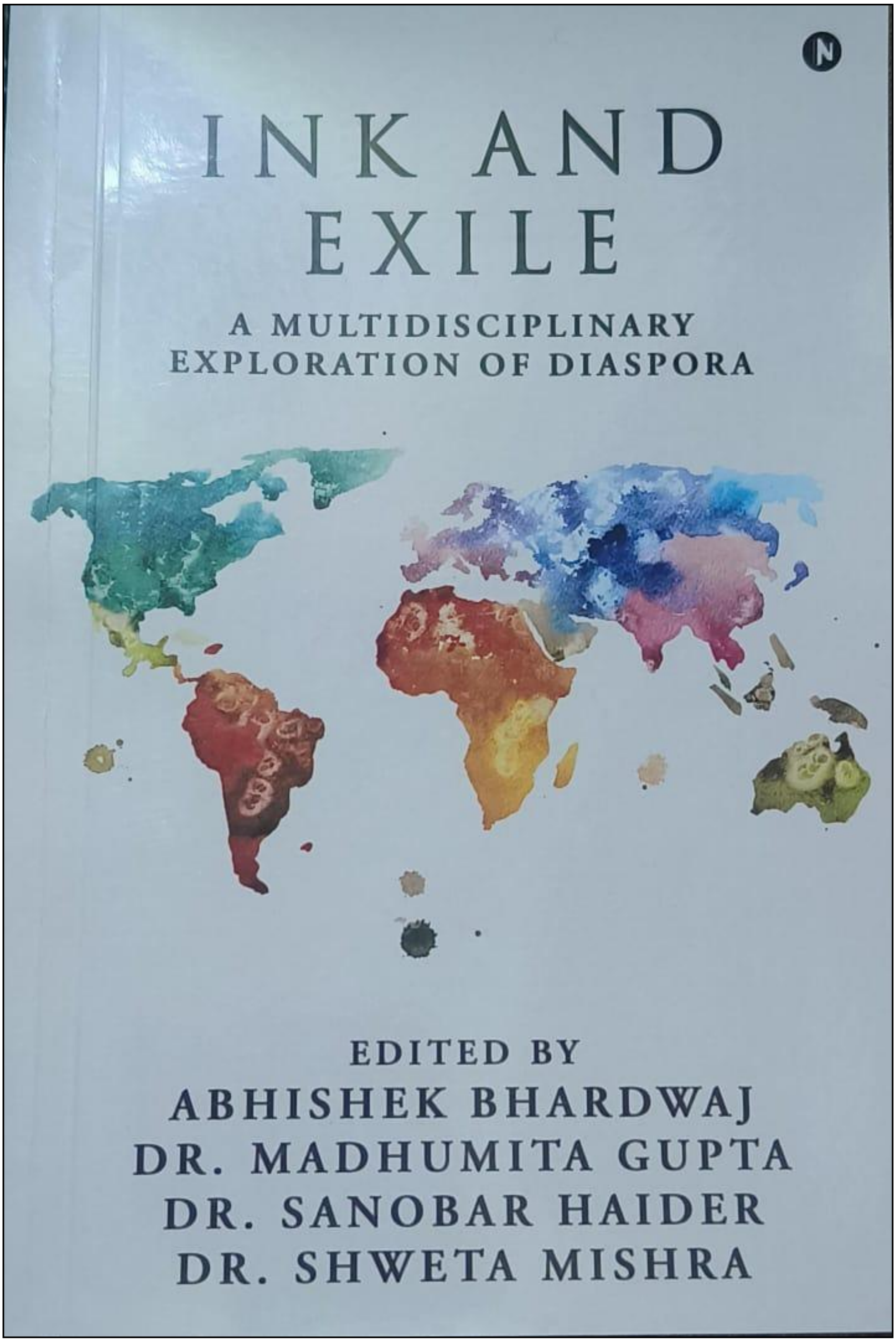

Contents

Acknowledgement 7

Notes by Editors

Mr. Abhishek Bhardwaj 9

Dr. Madhumita Gupta 15

Dr. Sanobar Haider 19

Dr. Shweta Mishra 23

1. Evolution of Indian Culture Within Diaspora Communities 29
   Dr. Shalini
2. Shadows of Colonialism in Diasporic Writings: A Reading of Nirad C. Chaudhuri's Autobiography *Thy Hand, Great Anarch* 44
   Mr. Ajeet Kumar Gupta and Prof. S. C. Hajela
3. The Indian Policy of Skilled Migration: Brain Drain Versus Brain Return and Benefits of Diaspora 56
   Dr. Mishu Singh

20. Diasporic Elements in the Novels of Anita Desai 291
Mrs. Afroz Jahan

21. भारतीय कला, संगीत एवं नृत्य को प्रोत्साहित करने में प्रवासियों की भूमिका 305
डॉ० बिनीता पाण्डेय

22. भारतीय प्रवासी हिंदी साहित्य 311
सबीहा नूरी

23. आर्थिक सशक्तिकरण: वैश्विक व्यापार में भारतीय प्रवासियों का योगदान 321
डॉ० विभा पाण्डेय

Our Authors *335*

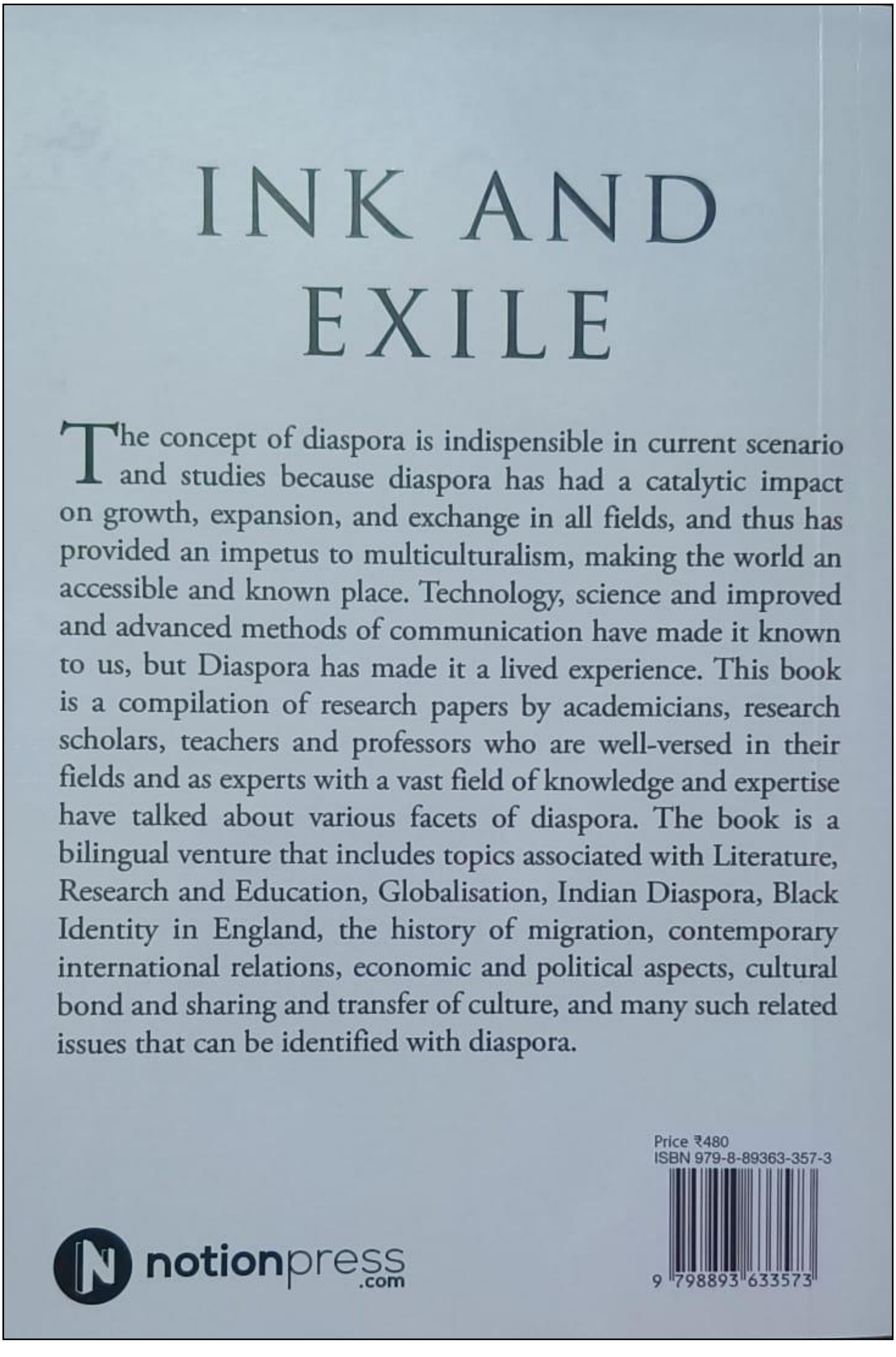

INK AND EXILE

The concept of diaspora is indispensible in current scenario and studies because diaspora has had a catalytic impact on growth, expansion, and exchange in all fields, and thus has provided an impetus to multiculturalism, making the world an accessible and known place. Technology, science and improved and advanced methods of communication have made it known to us, but Diaspora has made it a lived experience. This book is a compilation of research papers by academicians, research scholars, teachers and professors who are well-versed in their fields and as experts with a vast field of knowledge and expertise have talked about various facets of diaspora. The book is a bilingual venture that includes topics associated with Literature, Research and Education, Globalisation, Indian Diaspora, Black Identity in England, the history of migration, contemporary international relations, economic and political aspects, cultural bond and sharing and transfer of culture, and many such related issues that can be identified with diaspora.

Price ₹480
ISBN 979-8-89363-357-3
9 798893 633573

notionpress.com